



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 999/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, कुशल बाग पैलेस बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 26-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14-08-2017 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में माह सितम्बर, 2014 में प्राप्त हुए प्रत्येक आवेदन की प्रतिलिपि, आवेदकों को उपलब्ध कराये गये सूचना के फारवर्डिंग पत्र की प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन पत्रों का अलग से कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया जाता है और ना ही इस तरह के आवेदन पत्रों की कोई पत्रावलियाँ अलग से संधारित की जाती है। प्रमुख शासन सचिव द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन पत्रों को सिर्फ मार्क कर निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जाता है। इस आशय की सूचना अपीलार्थी को निदेशालय, जयपुर के पत्र दिनांक 07-09-2017 से प्रेषित की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 07-09-2017 की प्रति संलग्न की गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी को नोटिस का बिन्दुवार उत्तर प्रेषित करने को पाबन्द किया जावे। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलोत्तर प्रस्तुत

किया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिष्चय अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय अपील के साथ संलग्न किया गया है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त